

(57)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

“प्रेस विज्ञापित”

झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 तथा झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली, 2015 एवं विभागीय संकल्प संख्या-296 दिनांक-06.02.2023 के उपबंधों के अधीन शैक्षणिक संस्थान के सुदृढीकरण/संरचना विकास तथा उनके सर्वांगीण विकास के निमित्त अनुदान प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, स्थायी प्रस्वीकृत इण्टर महाविद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से **वित्तीय वर्ष 2025-26** के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक-13.12.2025 निर्धारित थी।

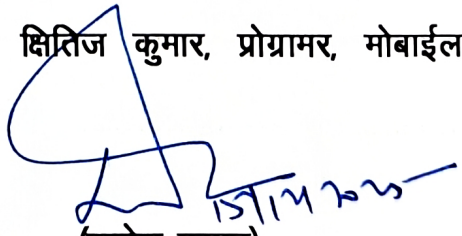
उल्लेखनीय है कि कतिपय वित्त रहित शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुदान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये गये हैं।

अतः एतद् द्वारा संबंधित को सूचित किया जाता है कि **अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि दिनांक-05.01.2026 तक विस्तारित की जाती है।**

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अपने स्तर से Online आवेदन प्रपत्र की Scrutiny एवं स्थलीय जांच कर पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन दिनांक-15.01.2026 तक सायं 05:00 बजे तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को Online ससमय उपलब्ध करायेंगे।

नोट :-

1. निर्धारित तिथि के बाद Online आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. पूर्व में प्रसारित वेब पोर्टल www.giadosel.jharkhand.gov.in के अतिरिक्त <https://giadosel.jharkhand.gov.in> पर भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
3. वित्त रहित शिक्षण संस्थान ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व ई-विद्यावाहिनी से अपने Data की जांच एवं मिलान कर सुनिश्चित हो लेंगे।
4. किसी भी प्रकार की तकनीकी सहयोग के लिए श्री क्षितिज कुमार, प्रोग्रामर, मोबाईल नं०-9006042011 पर संपर्क स्थापित करेंगे।


(राजेश प्रसाद)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, राँची।